-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी की मिशन शक्ति टीम द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 2.9 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी की मिशन पुलिस टीम द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 01.10.2025 की शाम को थाना नरैनी की मिशन टीम एंटी रोमियों चेकिंग में भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध सूखे गांजे के साथ ग्राम नसेनी मोड़ के पास खड़ा है। सूचना पर तत्काल मिशन शक्ति टीम द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को पकड़ लिया गया तथा उसके हाथ में लिए गए प्लास्टिक की बोरी को चेक किया गया तो उसमें से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ । अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करते हुए थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 2.9 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामलखन लोध पुत्र चन्द्रशेखर निवासी नन्दनपुर, धरमपुर जनपद पन्ना (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 327/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रक्षा देवी
2. म0का0 शिक्षा राठौर
3. म0का0 प्रिया यादव
4. का0 जितेन्द्र सिंह